

अधिसूचना सं०-म०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११.....१३३९/ पटना, दिनांक-५/१२/१३/

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

**अधिसूचना**


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-९९४, दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के आलोक में लखीसराय जिला के जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया जाता है:-

क्र०	नाम	पता	पद	दूरभाष
1	श्रीमती नीलम देवी	हनुमान नगर, वार्ड-१९, लखीसराय	उपाध्यक्ष	९५७०३९९८७७
2	श्री कैलाशपति महतो	सूर्यगढ़ा	सदस्य	८८०९०६३१६३
3	श्री रामानन्द मंडल	हनुमान नगर, वार्ड नं०-१९	सदस्य	९५७०३९९८७७
4	श्री अमरेश कुमार अनिश	बड़हिया	सदस्य	७२७७३३२७९१
5	श्री नवलकिशोर महतो	खैरा चानन	सदस्य	९७७१२८१२२८
6	श्री दुखित नारायण रविदास	हलसी	सदस्य	९९३९३०४९०५
7	मो० मजहर	बालगुदर, लखीसराय	सदस्य	
8	श्री विन्देश्वरी मोदी	पंजाबी मोहल्ला, लखीसराय,	सदस्य	८२९८६६२४१९
9	श्री नरेश मंडल	किउल बस्ती वार्ड नं०-३२, पोस्ट+जिला-लखीसराय	सदस्य	९९३१०९०८०७
10	श्री रामचन्द्र प्रसाद	नया बाजार, लखीसराय	सदस्य	९४३१२३५१७८
11	मो० मकसूद खॉ	हलसी बाजार, पो-हलसी, लखीसराय	सदस्य	९९३१०२०२२७
12	श्रीमती पुष्पा देवी	ग्रा०-गरसंडा, लखीसराय	सदस्य	९८०१४५०४५४
13	श्री प्रफुल्ल मॉझी	मो०-संतर, वार्ड नं०-१३, लखीसराय	सदस्य	९४३०५३३८०१
14	मो० सरफराज	पचना रोड, लखीसराय बाजार, लखीसराय	सदस्य	८०८३१२४८५९
15	श्री मनोज कुमार सिंह	ग्रा-घोसैठ, पो-पीरी बाजार	सदस्य	९४७३०४३१९२

2. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।
3. जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्य विभागीय संकल्प सं० ९९४ दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् होंगे -
  - (i) जिला के प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष
  - (ii) जिला के लोकसभा सदस्य - पदेन सदस्य
  - (iii) जिला के वैसे राज्य सभा के सदस्य जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो - पदेन सदस्य।
  - (iv) जिला के विधान सभा के सभी सदस्य - पदेन सदस्य।
  - (v) जिला के वैसे विधान परिषद के सदस्य, जिनका गृह जिला प्रश्नगत जिला में अवस्थित हो- पदेन सदस्य।
  - (vi) जिला परिषद के अध्यक्ष - पदेन सदस्य
  - (vii) जिला नगर निगम के महापौर/नगर परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष -पदेन सदस्य
  - (viii) जिला पदाधिकारी-सदस्य सचिव


4. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला में अवस्थित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा नाबार्ड के डी0डी0एम0 पदेन सदस्य होंगे।
5. विभागीय संकल्प सं०-335 दिनांक 24.07.2013 के आलोक में समिति के मनोनीत/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(विनोद कुमार झा)


सरकार के संयुक्त सचिव  
पटना, दिनांक- 4/12/13

ज्ञापांक- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011-1339/  
प्रतिलिपि: राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।  
पटना, दिनांक- 4/12/13


ज्ञापांक- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011-1339/  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।  
पटना, दिनांक- 4/12/13


ज्ञापांक- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011-1339/  
प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने स्तर से मनोनीत उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को अधिसूचना की एक प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे।

  
(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।  
पटना, दिनांक- 4/12/13

ज्ञापांक- मं0म0/का0का0(गठन)-01/2011-1339/  
प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

  
(विनोद कुमार झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।